UPKU010042332026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

उपस्थित–**संजीव कुमार त्यागी, एच०जे०एस०–Id. No. UP2018**

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **– 1237/2026**

सोनू कुमार मद्धेशिया बउम्र 27 वर्ष पुत्र मनोज मद्धेशिया, सा०– वार्ड नंबर 12 पटेल नगर, सब्जी मण्डी, तमकुही रोड, थाना– सेवरही, जिला– कुशीनगर।

–––– अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार। –––विपक्षी।

मु०अ०सं०– 116/2026
धारा– 69,351(3),352 B.N.S.
थाना– सेवरही,
जनपद–कुशीनगर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र

1– वर्तमान प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त सोनू कुमार मद्धेशिया की ओर से उक्त मामले में अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 20–05–2026 को वादिनी मुकदमा प्रियंका मद्धेशिया द्वारा थाना सेवरही में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि विगत वर्ष दिनांक 15–02–2025 को सोनू मद्धेशिया के साथ बहू पक्ष के अभिभावक की सहमति से शादी होना सुनिश्चित था। इसके पूर्व सोनू मद्धेशिया उसे उसके भावी पति हैं, उसे कई बार अपने साथ अपने नये घर पर ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब उसने मना किया कि शादी के बाद शारीरिक संबंध बनेगा तो इस पर वे एक नहीं माने तथा मोबाइल से बात करके उसे बुलाते थे तथा शारीरिक संबंध बनाते रहे। शादी के कुछ दिन पूर्व ससुर मनोज मद्धेशिया व सास माला देवी तथा सोनू मद्धेशिया द्वारा गाली गुप्ता व जान माल की धमकी देते हुए शादी करने से इन्कार कर दिया तथा शादी नहीं किए। इस प्रकार उसका शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया गया। जब वह शादी करने के लिए बोल रही है तो सोनू मद्धेशिया व उनके माता पिता गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं तथा शादी करने से इन्कार कर रहे हैं। तदनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गई।

3–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्जी मिथ्या व बनावटी है जिसमें लेश मात्र सच्चाई नहीं है। पीड़िता उम्र से बालिग है। पीड़िता की शादी अभियुक्त के साथ परिवारजनों द्वारा तय किया गया था तथा शादी दिनांक 15–02–2025 को होनी थी। शादी की तैयारी के बाद दिनांक 13–02–2025 को तिलक का कार्यक्रम अभियुक्त के गांव पर होना था जिसके लिए अभियुक्त ने श्याम सजावट व कैटर्स से टेन्ट, सजावट, लाइट व अन्य डेकोरेशन के सामान तथा बारात के लिए रोड लाइट आदि का सट्टा एक लाख पचास हजार रूपये में कर दिया था तथा तिलक के लिए आर्केस्ट्रा भी बुक कर दिया था परन्तु खुद वादिनी ने दिनांक 15–12–2024 को अभियुक्त के ह्वाट्सऐप पर खुद संदेश भेजकर शादी करने से मना कर दिया तथा कहा कि उसे कोई बीमारी है जिसकी दवा दो वर्ष पहले से हो रही है। उसे कोई बच्चा नहीं होगा। इसकी सूचना भी अगुआ के माध्यम से दी गई तथा शादी में खर्च करने के लिए दिया गया एडवांस मु०–2,80,000/– रूपये उसके भाई सन्नी के खाते में दिनांक 31–12–2024 व 01–01–2025 को वापस कर दिया गया। वादिनी झूँठा फंसाने की धमकी देने लगी। इस बीच वादिनी ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिया जिस पर पुलिस द्वारा कुछ संम्भ्रान्त ब्यक्तियों के बीच में दिनांक 17–12–2025 को यह तय हुआ कि खुद वादिनी द्वारा ही शादी करने से मना किया गया था तथा जिसके कारण पैसा वापस कर दिया गया तथा बाद में दोनो पक्षों के मध्य कोई विवाद शेष नहीं रह गया था। पीड़िता द्वारा प्रेषित चैट की छायाप्रति जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की गई है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त जमानत मुचलका दाखिल करने को तैयार है। तदनुसार अग्रिम जमानत प्रदान करने की याचना की गई।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा बहस में कहा गया कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया तथा शादी से इन्कार कर दिया गया तथा उसे गाली गुप्ता व जान माल की धमकी दी गई। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गई।

6–मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

7– प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि उसके द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया तथा शादी से इन्कार कर दिया गया तथा उसे गाली गुप्ता व जान माल की धमकी दी गई। पीड़िता स्वयं जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित हुई तथा उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उसकी शादी अभियुक्त के साथ उसके परिवार के सदस्यों की सहमति से तय हुई थी। इससे स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया गया। धारा 69 बी.एन.एस. का अपराध गठित होने के लिए शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना आवश्यक होता है जबकि प्रश्नगत प्रकरण में स्वयं पीड़िता द्वारा परिवार के लोगों की सहमति से

अभियुक्त के साथ शादी तय होना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों मे बल पाया जाता है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है। उक्त दिये गये कारणों के मद्देनजर अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है।

आदेश

अभियुक्त सोनू कुमार मद्धेशिया द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निम्न शर्तों पर स्वीकार किया जाता हैः–

1– अभियुक्त आरोप पत्र दाखिल होने की स्थिति में आरोप व धारा 351 बी.एन.एस.एस. के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा तथा अनावश्यक रूप से स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं प्रस्तुत करेगा।

2– अभियुक्त प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति का कोई उत्पीड़न, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या विवेचक के समक्ष प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3– अभियुक्त संबंधित न्यायालय की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जायेगा।

4– अभियुक्त एक माह के अन्दर मु०–1,00,000/–रूपये का निजी मुचलका व इसी धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय में दाखिल करेंगा। उक्त शर्त का अनुपालन न करने पर अभियुक्त की अग्रिम जमानत स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

यदि अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने से पूर्व पुलिस द्वारा वर्तमान मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो अभियुक्त द्वारा मु०– 1,00,000/– रूपये का निजी मुचलका व इसी धनराशि के दो प्रतिभू निष्पादित करने पर उसे अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाय।

दिनांकः **11.06.2026**

R.P.Shukla

(संजीव कुमार त्यागी)
सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

Digitally signed by SANJEEV KUMAR TYAGI
Date: 2026.06.11 15:29:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court